

शारदा बनाम दुलाराम आदि
प्रकरण संख्या 70/2024 अन्तर्गत धारा 251क आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
04.07. 2025	<p>पत्रावली पेश हुई। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि प्रार्थीया को अपने खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया व अप्रार्थी की आपसी सहमति व तहसीलदार की रिपोर्ट आदि के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर चक 2 डीडब्ल्यूएसएम के प.नं. 12/38 के कि.नं. 6 की 0.018 है., 7/1 की 0.015 है. दक्षिणी पासा पर पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किये जाने के तथा रास्ता भूमि के बदले प्रार्थीया की भूमि चक 2 डीडब्ल्यूएसएम के प.नं. 12/38 के कि.नं. 7/2 की 0.033 है. पूर्वी पासा पर उतर से दक्षिण लम्बी पश्चिमी दक्षिणी कोना को छोड़कर भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार को पत्र जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">२ नगरपालिका अधिकारी काठमाडौं</p>	

